प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी राजू उर्फ बिजली पुत्र श्री दफेदार, निवासी जनपद-इटावा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-31436/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.10.2023), दिनांक-19.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी राजू उर्फ बिजली पुत्र श्री दफेदार, जो ग्राम-विहार, थाना-बिठौली, जनपद-इटावा का निवासी है। प्रथम केस- पुलिस को सूचना दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 14.03.2006 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेयास्त्र से गोली मारकर महेश चन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केस- 6 लाख रूपयें फिरौती की मॉग को लेकर दिनांक 11.01.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शस्त्रों से लैस होकर 01 व्यक्ति का अपहरण कर लिया। तृतीय केस- कारागार (मु) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा उसके साथ संलग्न वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ की आख्या में तृतीय केस की घटना का उल्लेख नहीं है। चतुर्थ केस- एक-डेढ लाख रूपयें फिरौती की माँग को लेकर दिनांक 23.04.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहों से लैस होकर 01 व्यक्ति का अपहरण कर लिया। पंचम केस- दिनांक 08.03.2006 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर स्वचालित असलहों, ए०के० 47, सेमी रायफल व कारबाइन से पुलिस फोर्स पर फायरिंग मुठभेड़ के दौरान बदमाशों द्वारा अपहरण सुरेन्द्र बाबू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। षष्टम केस- डकैती के उद्देश्य से दिनांक 04.06.2006 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल की डैकती की घटना कारित की गयी। उक्त अपराधों हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-224/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 452 में आजीवन कारावास एवं 3(2)(5) एस०सी०एस०टी० एक्ट में मा० विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, इटावा के आदेश दिनांक 31.05.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2)-एसटी नं0-69/2006, धारा-364 आईपीसी में मा० विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), औरैया के आदेश दिनांक 13.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (3)-एसटी नं0-31/2010, धारा-224 आईपीसी में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अ०व०) अधि० इटावा के आदेश दिनांक 23.01.2014 द्वारा 01 वर्ष कारावास। (4)-एसटी नं0-147/2006, धारा-364ए आईपीसी में मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

दस्यु प्रभावित क्षेत्र, जालौन के आदेश दिनांक 27.08.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (5)-एसटी नं0-53/2008, धारा-147, 148, 307/149, 302/149 आईपीसी व 27ए एक्ट में मा० विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, इटावा के आदेश दिनांक 26.03.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (6)-एसटी नं0-98/2006, धारा-148, 395, 364ए आईपीसी सपठित धारा-11 आर०डी०ए० एक्ट में मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, धौलपुर के आदेश दिनांक 08.12.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (7)-एसटी नं0-94ए/2007, धारा-3 (1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट में मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (गिरोह बन्द अधि०), कानपुर नगर के आदेश दिनांक 21.02.2009 द्वारा 02 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा (1)-एसटी नं0-224/2006 दिनांक 04.09.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 10 माह, 14 दिन, (2)-एसटी नं0-69/2006 अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 02 माह, 20 दिन, (4)-एसटी नं0-147/2006 अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 07 माह, 17 दिन, (5)-एसटी नं0-53/2008 अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 09 माह, 04 दिन, (6)-एसटी नं0-98/2006 अपरिहार 17 वर्ष, 01 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 00 माह, 21 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17.01.2023 एवं द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट, इटावा ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम केस-पुलिस को सूचना दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 14.03.2006 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेयास्त्र से गोली मारकर महेश चन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केस-6 लाख रूपयें फिरौती की माँग को लेकर दिनांक 11.01.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शस्त्रों से लैस होकर 01 व्यक्ति का अपहरण कर लिया। चतुर्थ केस-एक-डेढ लाख रूपयें फिरौती की माँग को लेकर दिनांक 23.04.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहों से लैस होकर 01 व्यक्ति का अपहरण कर लिया। पंचम केस-दिनांक 08.03.2006 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर स्वचालित असलाहों, ए०के०-47, सेमी रायफल व कारबाइन से पुलिस फोर्स पर फायरिंग मुठभेड़ के दौरान बदमाशों द्वारा अपहरण सुरेन्द्र बाबू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। षष्टम केस-डकैती के उद्देश्य से दिनांक 04.06.2006 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल की डैकती की घटना कारित की गयी। बन्दी ने 05 अलग-अलग घटनाओं में अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजू उर्फ बिजली पुत्र श्री दफेदार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ बिजली (बन्दी संख्या-26653) पुत्र श्री दफेदार, निवासी जनपद- इटावा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-559/2025/3908(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-559/2025/3908/22-2-2023-17(1240)/2023

दिनांक 17 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी राजू उर्फ बिजली पुत्र श्री दफेदार, जो ग्राम-विहार, थाना-बिठौली, जनपद-इटावा का निवासी है। प्रथम केस- पुलिस को सूचना दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 14.03.2006 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेयास्त्र से गोली मारकर महेश चन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केस- 6 लाख रूपयें फिरौती की मॉग को लेकर दिनांक 11.01.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शस्त्रों से लैस होकर 01 व्यक्ति का अपहरण कर लिया। तृतीय केस- कारागार (मु) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा उसके साथ संलग्न वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ की आख्या में तृतीय केस की घटना का उल्लेख नहीं है। चतुर्थ केस- एक-डेढ लाख रूपयें फिरौती की माँग को लेकर दिनांक 23.04.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहों से लैस होकर 01 व्यक्ति का अपहरण कर लिया। पंचम केस- दिनांक 08.03.2006 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर स्वचालित असलहों, ए०के० 47, सेमी रायफल व कारबाइन से पुलिस फोर्स पर फायरिंग मुठभेड़ के दौरान बदमाशों द्वारा अपहरण सुरेन्द्र बाबू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। षष्टम केस- डकैती के उद्देश्य से दिनांक 04.06.2006 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल की डैकती की घटना कारित की गयी। उक्त अपराधों हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-224/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 452 में आजीवन कारावास एवं 3(2)(5) एस०सी०एस०टी० एक्ट में मा० विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, इटावा के आदेश दिनांक 31.05.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2)-एसटी नं0-69/2006, धारा-364 आईपीसी में मा० विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), औरैया के आदेश दिनांक 13.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (3)-एसटी नं0-31/2010, धारा-224 आईपीसी में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अ०व०) अधि० इटावा के आदेश दिनांक 23.01.2014 द्वारा 01 वर्ष कारावास। (4)-एसटी नं0-147/2006, धारा-364ए आईपीसी में मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, जालौन के आदेश दिनांक 27.08.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (5)-एसटी नं0-53/2008, धारा-147, 148, 307/149, 302/149 आईपीसी व 27ए एक्ट में मा० विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, इटावा के आदेश दिनांक 26.03.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (6)-एसटी नं0-98/2006, धारा-148, 395, 364ए आईपीसी सपठित धारा-11 आर०डी०ए० एक्ट में मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, धौलपुर के आदेश दिनांक 08.12.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (7)-एसटी नं0-94ए/2007, धारा-3 (1) यू०पी० गैगेस्टर एक्ट में मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (गिरोह बन्द अधि०), कानपुर नगर के आदेश दिनांक 21.02.2009 द्वारा 02 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा (1)-एसटी नं0-224/2006 दिनांक 04.09.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 10 माह, 14 दिन, (2)-एसटी नं0-69/2006 अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 02 माह, 20 दिन, (4)-एसटी नं0-147/2006 अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 07 माह, 17 दिन, (5)-एसटी नं0-53/2008 अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 09 माह, 04 दिन,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(6)-एसटी नं0-98/2006 अपरिहार 17 वर्ष, 01 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 00 माह, 21 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17.01.2023 एवं द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट, इटावा ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम केस-पुलिस को सूचना दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 14.03.2006 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेयास्त्र से गोली मारकर महेश चन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केस-6 लाख रूपयें फिरौती की माँग को लेकर दिनांक 11.01.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शस्त्रों से लैस होकर 01 व्यक्ति का अपहरण कर लिया। चतुर्थ केस-एक-डेढ लाख रूपयें फिरौती की माँग को लेकर दिनांक 23.04.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहों से लैस होकर 01 व्यक्ति का अपहरण कर लिया। पंचम केस-दिनांक 08.03.2006 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर स्वचालित असलाहों, ए०के०-47, सेमी रायफल व कारबाइन से पुलिस फोर्स पर फायरिंग मुठभेड़ के दौरान बदमाशों द्वारा अपहरण सुरेन्द्र बाबू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। षष्टम केस-डकैती के उद्देश्य से दिनांक 04.06.2006 को बन्दी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल की डैकती की घटना कारित की गयी। बन्दी ने 05 अलग-अलग घटनाओं में अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजू उर्फ बिजली पुत्र श्री दफेदार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।